न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
047/2019(नि.पं.) (GCMS 2019/00272)	28.11.2019	27.09.2023

अनवान

मांगीलाल पिता नानालाल जाति धाकड, उम्र 57 साल निवासी सरसी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

निगराकार

बनाम

कजोड पिता राधु बागरिया निवासी भुवनिया खेडी, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ **मृतक के बजाय** :–

1. सोजीराम पिता कजोड जाति बागरिया उम्र 52 वर्ष निवासी भुवनिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. प्यारा कजोड जाति बागरिया उम्र 48 वर्ष निवासी भुवनिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. प्यारी बाई पुत्री कजोड पत्नी हीरालाल जाति बागरिया उम्र 55 वर्ष निवासी रामदेव जी का चन्देरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. जमना बाई पुत्री कजोड पत्नी जगन्नाथ जाति बागरिया उम्र 50 वर्ष निवासी डांगियों का खेडा तहसील व जिला उदयपुर।
5. ग्राम पंचायत सरसी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरसी, पंचायत समिति एवं तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

गैर निगराकारान

उपस्थिति :– बीआर धाकड — निगराकार
देवीलाल जाट — गैर–निगराकार संख्या 1 से 4
अनुपस्थित — गैर–निगराकार संख्या 5

निगरानी अन्तर्गत नियम 97 पंचायती राज अधिनियम, निगरानी विरूद्ध आदेश आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.03.1972 जो कि गैर निगराकार संख्या 05 द्वारा, गैर निगराकार संख्या 01 से 04 के पिता के पक्ष में जारी किया जिसे निरस्त कराये जाने बाबत्।

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 05 ग्राम पंचायत सरसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा दिनांक 30.03.1972 को गैर निगराकार संख्या 01 से 04 के पिता कजोड पिता राधु बागरिया के पक्ष में जारी किया है जो न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होकर निरस्तनीय है। कजोड पिता राधु बागरिया के पूर्व में ग्राम भुवानिया खेडी तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ में रिहायशी पक्का मकान है तथा कजोड पिता राधु बागरिया शुरू से ही गांव भुवनिया खेडी में ही निवास करता है। गांव सरसी में कभी निवास नहीं किया उसके बावजूद भी गैर–निगराकार संख्या 05 ने पंचायती राज के नियमों की अवहेलना कर बिना किसी कार्यवाही को अमल में लाए कजोड के नाम ग्राम सरसी की आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड का जो पट्टा दिनांक 30.03.1972 को जारी किया है वह विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कजोड के नाम जो पट्टा जारी किया गया जिसमें मौके का साईट प्लान तैयार नहीं किया गया। कजोड से किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं लिया गया, कजोड की सम्पति की कोई जांच नहीं की गई, तीन पंचों की मौजूदगी में कोई पर्चा मौका तैयार नहीं किया गया, एक माह का कोई आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया तथा सरपंच ग्राम पंचायत सरसी द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 04 के पिता कजोड को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से नियमों के परे जाकर एक दिन में ही विधिवत कार्यवाही किये बिना पट्टा जारी कर दिया गया है जो पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे में जिन पडौसो का अंकन किया गया है उन पडोसों के मध्य स्थित भूखण्ड पर कभी भी कजोड या उसके वारीसान का कब्जा नहीं रहा है बल्कि इस भूखण्ड पर निगराकार अपने बाप दादाओं के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में निगराकार की उक्त भूखण्ड पर 6 फीट की पक्की दीवार बनी हुई है और भूखण्ड में निगराकार ने कच्चा ढालिया बना रखा है, फाटक लगी हुई है भूखण्ड में निगराकार अपने मवेशी बांधता है और इस भूखण्ड का उपयोग निगराकार घास, फुस, चारा, कृषि उपकरण रखने, मवेशी बांधने में लेता चला आ रहा है इस तरह ग्राम पंचायत ने निगराकारान के वर्षो पुराने कब्जे को नजर अंदाज करते हुए एवं मौके की जांच पड़ताल किये बिना गैर निगराकारान संख्या 01 से 04 के पिता कजोड को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके नाम जो उक्त पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 29.09.2019 को गैर निगराकार संख्या 01 से 04 के पिता कजोड का देहावसान हो चुका है। कजोड की मृत्यु के बाद गैर निगराकारान संख्या 01 से 02 गांव सरसी में आकर गांव वालों को कहते फिर रहे है कि हमारे पिता जी ने भी पूर्व में उक्त भूखण्ड को बेच कर रूपये प्राप्त किये थे यदि निगराकार हमे हमारे द्वारा मांगी जाने वाली रकम नहीं देगा तो हम इस तथाकथित पट्टे के आधार पर निगराकार के विरूद्ध कार्यवाही करायेगे और उसे झूठे मुकदमे में फंसा देगे। वर्तमान में गैर निगराकारान के मन में लालच एवं बदनियति आ जाने के कारण निगराकार के 100 साल से भी ज्यादा पुराने उपयोग उपभोग व कब्जेशुदा भूखण्ड को लेकर गांव एवं आस पडौस में नाजायज तरीके से दुष्प्रचार कर रहे है, एवं उक्त भूखण्ड को तथाकथित पट्टे के आधार पर दिगर व्यक्तियों को बेचने की धमकियां दे रहे है। ग्राम पंचायत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के कानूनी प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है। आबादी भूमि का विकय विलेख गैर निगराकारान के पिता को को जारी करने से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा की जानी चाहिए तथा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन प्रक्रिया का अनुमोदित कर विधि अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। आबादी भूमि के विक्रय विलेख में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है एव ना ही इस संबंध में कोई मिसल, पत्रावली ही बनी है तथा ना ही ग्राम पंचायत की रोकड वही के रजिस्टर में कोई इन्द्राज है। आबादी भूमि के विक्रय विलेख पर सरपंच के हस्ताक्षर विधि अनुसार नहीं है तथा सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है जबकि केवल और केवल सचिव के हस्ताक्षर ही कानूनन आवश्यक है तथा पडौस भी गलत अंकित किये है नियमानुसार विक्रय विलेख पंजीयन होना आवश्यक है, तथाकथित विक्रय विलेख अपंजीकृत होने से किसी प्रकार की कोई कानूनी अहमियत नहीं रखता है जिससे भी उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है तथा नियमानुसार ऐसा पट्टा पंचायत समिति के सक्षम अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाया जाना भी आवश्यक है किन्तु इन सब प्रक्रियाओं का कोई पालन नहीं किया गया है। केवल मात्र फर्जी पट्टा तैयार किया गया है जिससे यह निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार ग्रामीण परिवेश का अनपढ सद्भाविक काश्तकार है जिसको पूर्व में उपरोक्त पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय आप को होने की निगराकार को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में गैर निगराकारान द्वारा दुष्प्रचार करने से निगराकार को विधि विपरित तरीके से जारी किये गये। उपरोक्त पट्टे की जानकारी हुई जिस पर अविलम्ब ग्राम पंचायत में जाकर नकल प्राप्त कर यह निगरानी जानकारी होते ही अविलम्ब यह निगरानी न्यायालय आपमें पेश है तथा काननून निगरानी प्रस्तुत करने में मियाद की कोई आवश्यकता नही रहती है फिर भी एहतियात के तौर पर निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के पेश हैं। अंत में प्रार्थना की गई कि निगरानी पंचायत निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सरसी पंचायत समिति निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित पट्टा दिनांक 30.03.1972 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 31. 12.2019 को गैर–निगराकार संख्या 5 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। इस पर ग्राम पंचायत सरसी द्वारा पत्रांक/ग्रा.पं./सरसी/31 दिनांक 20.02.2023 से ग्राम पंचायत सरसी में उपलब्ध रेकार्ड प्रस्तुत किया गया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 06.09.2023 को गैर–निगराकार संख्या 1 से लगायत 4 तक की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 19.09.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली के निवेदन पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निगराकार ग्रामीण परिवेश का अनपढ सद्भाविक काश्तकार है जिसको पूर्व में उपरोक्त पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय आप को होने की निगराकार को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में गैर निगराकारान द्वारा दुष्प्रचार करने से निगराकार को विधि विपरित तरीके से जारी किये गये उपरोक्त पट्टे की जानकारी हुई जिस पर अविलम्ब ग्राम पंचायत में जाकर नकल प्राप्त कर यह निगरानी जानकारी होते ही अविलम्ब यह निगरानी न्यायालय आपमें पेश है। प्रार्थी ने निगरानी पेश करने में कोई जानबुझ कर देरी नहीं की है जो देरी हुई है उसका कारण युक्तियुक्त रहा है इसलिए निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षम्य फरमाई जाकर निगरानी को अंदर अवधि दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में प्रार्थी का शपथ–पत्र पेश है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षम्य फरमाई जाकर निगरानी को अंदर मियाद अवधि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकारान द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम का विरोध नहीं किया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि गैर निगराकार संख्या 05 ग्राम पंचायत सरसी द्वारा दिनांक 30.03.1972 को गैर निगराकार संख्या 01 से 04 के पिता कजोड पिता राधु बागरिया के पक्ष में जारी किया है जो न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होकर निरस्तनीय है। कजोड पिता राधु बागरिया के पूर्व में ग्राम भुवानिया खेडी तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ में रिहायशी पक्का मकान है तथा कजोड पिता राधु बागरिया शुरू से ही गांव भुवनिया खेडी में ही निवास करता है। गांव सरसी में कभी निवास नहीं किया उसके बावजूद भी गैर–निगराकार संख्या 05 ने पंचायती राज के नियमों की अवहेलना कर बिना किसी कार्यवाही को अमल में लाए कजोड के नाम ग्राम सरसी की आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड का जो पट्टा दिनांक 30.03.1972 को जारी किया है वह विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निगरानी की कलम संख्या एक में वर्णित तथा जानकारी के अभाव में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अस्वीकार है। गैर–निगराकार शुरू से ही भुवनिया खेडी में ही निवास करते हैं। हमारा पुश्तैनी मकान है, सरसी में कभी निवास नहीं किया केवल मात्र मजदूरी के हिसाब से आते जाते हैं। गैर–निगराकारान के पिता के नाम पंचायत द्वारा यहां जारी किया हो तो गैर–निगराकारान की जानकारी में नहीं होकर ना ही स्व. कजोड़ जी द्वारा बताया गया था। निगरानी में वर्णित उक्त भूखण्ड पर निगराकार का ही बाड़ा एवं नोहरा बना हुआ है, अन्य तथा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। गैर–निगराकार द्वारा गाँव सरसी में जाकर कभी भूखण्ड बाबत झूठा प्रचार–प्रसार नहीं किया है। ना ही बेचने की धमकिया दी है। गैर–निगराकारान के पिताजी के नाम का पट्टा जारी किया हो तो गैर–निगराकारान को जानकारी में नहीं हैं। गैर–निगराकारान ग्रामीण परिवेश के सद्भाविक व्यक्ति हैं जो कि पूर्व में श्रीमान के समझ उपस्थित आये थे परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अविलम्ब जवाब पेश हैं। गैर–निगराकारान की प्रार्थना है कि जवाब गैर निगराकारान स्वीकार फरमाया पाकर रेकार्ड पर लिया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही निर्णय करने की कृपा करावे एवं जवाब खर्च वकील फीस इत्यादि निगराकार से दिलवाई जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकारन ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताय कि कजोड के नाम जो पट्टा जारी किया गया जिसमें मौके का साईट प्लान तैयार नहीं किया गया। कजोड से किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं लिया गया, कजोड की सम्पति की कोई जांच नहीं की गई, तीन पंचों की मौजूदगी में कोई पर्चा मौका तैयार नहीं किया गया, एक माह का कोई आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया तथा सरपंच ग्राम पंचायत सरसी द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 04 के पिता कजोड को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से नियमों के परे जाकर एक दिन में ही विधिवत कार्यवाही किये बिना पट्टा जारी कर दिया गया है जो पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे में जिन पडौसो का अंकन किया गया है उन पडोसों के मध्य स्थित भूखण्ड पर कभी भी कजोड या उसके वारीसान का कब्जा नहीं रहा है बल्कि इस भूखण्ड पर निगराकार अपने बाप दादाओं के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में निगराकार की उक्त भूखण्ड पर 6 फीट की पक्की दीवार बनी हुई है और भूखण्ड में निगराकार ने कच्चा ढालिया बना रखा है, फाटक लगी हुई है भूखण्ड में निगराकार अपने मवेशी बांधता है और इस भूखण्ड का उपयोग निगराकार घास, फुस, चारा, कृषि उपकरण रखने, मवेशी बांधने में लेता चला आ रहा है इस तरह ग्राम पंचायत ने निगराकारान के वर्षो पुराने कब्जे को नजर अंदाज करते हुए एवं मौके की जांच पड़ताल किये बिना गैर निगराकारान संख्या 01 से 04 के पिता कजोड को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके नाम जो उक्त पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के कानूनी प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है। आबादी भूमि का विकय विलेख गैर निगराकारान के पिता को जारी करने से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा की जानी चाहिए तथा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन प्रक्रिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अनुमोदित कर विधि अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। आबादी भूमि के विक्रय विलेख में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में कोई मिसल, पत्रावली ही बनी है तथा ना ही ग्राम पंचायत की रोकड वही के रजिस्टर में कोई इन्द्राज है। आबादी भूमि के विक्रय विलेख पर सरपंच के हस्ताक्षर विधि अनुसार नहीं है तथा सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है जबकि केवल और केवल सचिव के हस्ताक्षर ही कानूनन आवश्यक है तथा पडौस भी गलत अंकित किये है नियमानुसार विक्रय विलेख पंजीयन होना आवश्यक है, तथाकथित विक्रय विलेख अपंजीकृत होने से किसी प्रकार की कोई कानूनी अहमियत नहीं रखता है जिससे भी उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है तथा नियमानुसार ऐसा पट्टा पंचायत समिति के सक्षम अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाया जाना भी आवश्यक है किन्तु इन सब प्रक्रियाओं का कोई पालन नहीं किया गया है। केवल मात्र फर्जी पट्टा तैयार किया गया है जिससे यह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी पंचायत निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सरसी पंचायत समिति निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित पट्टा दिनांक 30.03.1972 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहना पूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। निगराधीन पट्टा दिनांक 30.03.1972 राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना संख्या प. 2(2) विधि/2/94 दिनांक 23 अप्रैल, 1994 से राजस्थान राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया है। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधिनियम 1994 की धारा 124 से इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) निरसित किया गया है। अधिनियम 1994 की धारा 124 की उप–धारा 1 (छ) में प्रावधित किया गया है कि निरसित अधिनियमों के अधीन प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था या किसी विद्यमान पंचायत राज संस्था के किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियॉ और विषय उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष संस्थित किये गये और लंबित हुए समझे जायेंगे जिसे उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था निर्दिष्ट करे। अतः निगराधीन पट्टा का पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन वर्तमान में प्रभावी अधिनियम 1994 के तहत किया जा सकता है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:
Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.
(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.
(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.
(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है।निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। निगराधीन पट्टा संख्या 034 दिनांक 30.03.1972 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख होकर राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सरसी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर आता है कि उक्त पट्टा रियायतीदर, आपसी बातचीत के तहत निष्पादित किया गया है। राजस्थान पंचायत नियम 1961 में आबादी में नियमों में भूखण्ड नीलामी की प्रक्रिया के प्रावधान प्रावधित किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत ग्राम पचांयत सरसी से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायत नियम 1961 में आबादी में भूखण्ड नीलामी की प्रक्रिया के प्रावधान प्रावधित किये गये है। राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के प्रावधानुसार प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है, किन्तु पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरित कर सकेगी (क) जहाँ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याससंगत है और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो, (ख) जहाँ कोई अतिचार हो या अन्य किसी कारण लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सुवधिाजनक ढंग नहीं होगा, और (ग) जहाँ तक नियम के उप–नियमों के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो। उप–नियमों के अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप–रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी। इसके साथ उप–नियमों के तहत किसी बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्रों के लिए नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित भूमि को नियमानुसार विक्रय कर किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को अधिकार राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 द्वारा प्रदान नहीं किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सरसी द्वारा अपने पत्र में अवगत कराया गया है कि मूल मिसल संख्या 18/1971 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। मूल मिसल के अभाव में पट्टा का गहनता पूर्वक परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। हस्तगत मूल अभिलेख में किसी भी प्रकार से कोई आवेदन पत्र प्रार्थी का ग्राम पंचायत सरसी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। इसके साथ ही वार्ड पंचों की सहमति एवं मौका रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा नक्शा व उपस्थित जनसमूह से अनापत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में भूखण्ड का किसी भी प्रकार से नाप–चौक क्षेत्रफल इत्यादि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं है। भूखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण–पत्र नहीं है। इसके साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। इसके साथ ही गैर–निगरकारान द्वारा प्रस्तुत जवाब भी निगरानी आवेदन में वर्णित तथ्यों को सहयोग प्रदान करते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियमों प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकताके परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 034 दिनांक 30.03.1972 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद के बिन्दु को रिजर्व किया गया है, एवं प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत पाया गया है। निगराकारान ने सन् 1972 में पट्टा जारी होने के पश्चात् सन् 2019 में निगरानी प्रस्तुत की है जो कि पट्टा जारी होने के 47 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत निगरानी हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है एवं प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत पाया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण को मियाद के तकनीकी आधार पर नहीं देखा जाकर गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिये एवं हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत पाया है, ऐसी स्थिति निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुये दीघे विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं प्रस्तुत निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत सरसी पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा विवादित पट्टा संख्या 034 दिनांक 30.03.1972 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत कनेरा द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम/प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी द्वारा जारी पट्टा संख्या 034 दिनांक 30.03.1972 जो कि गैर निगराकारान के पिता स्व. कजोड पिता राधु बागरिया निवासी भुवनिया खेडी, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरसी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जांच कर, बाद जांच राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी सरसी को मार्फत विकास अधिकारी निम्बाहेडा के सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official